Office of Principal District Judge, Lohardaga

Office Order No. \bigcirc 8 dated 09.01.2024

In the light of letter number 6A/Court Fees-30/2021 (Part-II)2696/J of Law Department, Government of Jharkhand, Ranchi, the Undersigned has been requested to get the Jharkhand Court Fee Act (Jharkhand Amendment Act, 2022) be implemented as it has already been notified in Gazette.

Hence, in view of above, let the Jharkhand Court Fee Act (Jharkhand Amendment Act, 2022) under Jharkhand Gazette No. 694 dated 24.11.2023 be implemented. The amended Court Fee (Notification No. 694) dated 24.11.2023 is enclosed to this order.

Inform all concerned for needful.

Sd/-

Principal District Judge

Lohardaga

Encl.: As stated above (05 sheets).

Memo No. 16 - Dated 9.1.24.

Copy forwarded to:-

All the Judicial Officers, Civil Courts Lohardaga/ Judge-in-Charge, Civil Courts, Lohardaga/ All Sheristedar, Civil Courts, Lohardaga/ Accountant, Civil Courts, Lohardaga/ Head Comparing Clerk, Civil Courts, Lohardaga/ President/Secretary, District Bar Association, Lohardaga/ Nodal Officer/ System Assistant for uploading in website of Civil Court, Lohardaga for information and needful.

Judge-in-charge Lohardaga. पत्र संख्या—6ए/कोर्ट फीस—30/2021(पार्ट—II) 2-696/जे0,

झारखण्ड सरकार, विधि विभाग, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची–834004

प्रेषक,

अनुप तिर्की, प्रभारी प्रधान सचिव--सह--विधि परामर्शी।

सेवा में

महानिबंधक, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

न्यायायुक्त, राँची। सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झारखण्ड।

राँची, दिनांक-

12 दिसम्बर, 2023

विषय:- झारखण्ड कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2022 के संबंध में।

महाशय.

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि झारखण्ड कोट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2022 का प्रकाशन झारखण्ड गजट में किया जा चुका हैं। झारखण्ड गजट में प्रकाशन के साथ यह अधिनियम सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रवृत्त हो चुकी है।

सुलभ संदर्भ हेतु झारखण्ड कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2022 की गजट प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अधिनियम का अनुपालन कराने की कृपा की जाय।

साथ ही, सूचित करना है कि कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2022 की गजट प्रति झारखण्ड सरकार के राजकीय गजट (https://egazette.jha khand.gov.in) से भी डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है

अतु0—यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

A. V. 2. 2. 23

(अनुप तिर्की)

प्रभारी प्रधान सचिव-सह- विधि परामशी।

Property Co.



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 694 राँची, शुक्रवार,

3 अग्रहायण, 1945 (श॰) 24 नवम्बर, 2023 (ई॰)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 23 नवम्बर, 2023

संख्या-एज जी०-11/2021-81--लेज॰ झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यापाल दिनांक-21/11/2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2022 (झारखण्ड अधिनियम संख्या-14, 2023)

झारखंड राज्य अंतर्गत कोर्ट फीस अधिनियम 1870 के प्रवर्तन को संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहतरवे वर्ष में झारखंड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो |

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ :-
 - क) यह अधिनियम कोर्ट फीस (झारखंड संशोधन) अधिनियम 2022 कहा जा सकेगा |
 - ख) इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा
 - ग) यह राज्य गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

खंड - "क"

2. कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की अनुसूची। एवं ॥ का प्रतिस्थापन :-कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की अनुसूची। एवं ॥ को निम्नवत प्रतिस्थापित की जायेगी :-

अनुसूची-। मूल्यानुसार फीस

| | | 2 | |
|--------|---|---|--|
| क्र∘स॰ | विषय | विवरण | उचित मूल्य |
| 1 | धारा 3 में उल्लिखित के सिवाए किसी दीवानी या | 2 | |
| | राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत | (1) 30,000/-(तीस हजार) | (i)म्ल्य का 15 |
| | किया गया वैसा वाद पत्र, किसी मुजरा या प्रतिदावा का | रूपये तक हो | प्रतिशत |
| | अभिवचन अथवा अपील या प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन जिसके | , , | (II) 4500/- रूपये |
| | तिए इस अधिनियम में | 50,000/- (पचास हज़ार | (चार हजार पांच सी) |
| | अन्यथा उपबन्ध न हो | रूपये से अधिक नहीं हो | + 30,000/- (तीस हजार) रूपये से |
| | | | अधिक मूल्य का 10 प्रतिशत |
| | | (iii) 50,000/- (पचास | प्रातरात |
| | | हज़ार) रूपये से अधिक किन्त 20,00,000/- (बीस | (iii) 6500/- रूपये (छह हज़ार पांच सी) |
| | | लाख) रूपये से अधिक | + 50,000/- (पचार |
| | | नही हो | हज़ार) रूपये से अधिक मूल्य का 3 |
| | | | प्रतिशत |
| | · | | |
| | | (iv) 20,00,000/- (बीस लाख) रूपये से अधिक | · (iv) 65,500/- (पैंसर |
| | | किन्तु 1 करोड़ रूपये से | 1 |
| | | अधिक नहीं हो | (बीस लाख) रूपये |

| | | | | अधिक मूल्य का 0.5 प्रतिशत |
|---|--|------------------------------|----|--|
| | | (v) 1 करोड़ रूपये अधिक हो | से | लाख पांच हजार) रूपये + 1 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य का 0.3 प्रतिशत (अधिकतम 3,00,000/- (तीन |
| | | | | लाख) रूपये) |
| 2 | विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, की धारा 6 के अधीन कब्जा के लिए किसी वाद में वाद पत्र | | | मद संख्या-1 के अंतर्गत निर्धारित दर्श के अनुसार |
| 3 | विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र, विल उपाबद्ध करने के साथ या उसके बिना | | | मूल्य का 10 प्रतिशत न्यूनतम 500/- (पांच सौ) रूपये |
| 4 | उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र अधिनियम 1889 के अधीन प्रमाण पत्र | | | मद संख्या-3 के अनुसार प्रमाण-पत्र में वर्णित मूल्य के अनुसार |
| | 11 | 4 | | |

अन् सूची।

| | | हिं। जिल्ला प्राप्त | |
|---------|-------------------|---|------------------|
| क्र॰सं॰ | विषय | विवरण | उचित मूल्य |
| 7 | (i)आवेदन या अर्जी | जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय के प्रशासनिक अथवा राजस्व पदाधिकारी या उच्च न्यायालय से भिन्न दिवानी या फौजदारी न्यायालय में प्रस्तुत हो तथा जिसके सम्बन्ध में अन्यथा उपबंधित न हो | 20/- (बीस) रूपये |

| | (ii) जब उच्च न्यायालय | संविधान के अनुच्छेद 226, | |
|---|--|--------------------------|-----------------------|
| | में प्रस्तुत हो | 227 के अंतर्गत | |
| | | (क)सामान्य आवेदन दायर | 500/- (पांच सौ) रूपये |
| | | करने हेत् | 250/- (दो सौ पचास) |
| | | (ख) अन्य आवेदनों पर | रूपये |
| | | (, | |
| | (III) सिविल प्रक्रिया | | 250/- (दो सौ पचास) |
| | संहिता की धारा-115 | | रूपये |
| | अंतर्गत सिविल संशोधन | | |
| | या दण्ड प्रक्रिया संहिता | | |
| | की धारा 397 सह पठित | | |
| | धारा 399/401 अंतर्गत | | |
| | अपराधिक पुनरीक्षण | | |
| | , | | |
| 2 | दुसरे न्यायालय से | | 50/- (पचास) रूपये |
| | अभिलेखों को मंगाने के | | |
| | लिए आवेदन | | |
| | | | |
| 3 | अकिंचन के रूप में वाद | | 20/- (बीस) रूपये |
| | चलाने या अकिंचन के रूप | | |
| | में अपील करने की | | |
| | इजाजत के लिए आवेदन | | |
| | | | 1.004 0-11 |
| 4 | अधिभोग के अधिकार को | i | 100/- (सीं) रूपये |
| | स्थापित या साबित करने | | |
| | के लिए वाद पत्र या | | |
| | अपील का ज्ञापन | | |
| | | | 20/- (बीस) रूपये |
| 5 | दण्ड प्रक्रिया संहिता | 1 | Con Court Silver |
| - | 1973 अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की | 1 | , |
| | किसी धारा के अधीन | 1 | |
| | न्यायालय या मजिस्ट्रे | 1 | |
| | दवारा दिया गया किस | 1 | |
| | आदेश के अनुपालन | | |
| | दिया गया जमानत प | 1 | |
| | या अन्य बाह्य लिखि | l . | |
| | और जो इस अधिनिय | 1 | |
| | द्वारा अन्यथा उपबंधि | | |
| | नहीं है | | |
| | a161 6 1 | | |

| 7 | भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 (1869 का 4) की धारा 49 के अधीन वचनबद्ध शपथ पत्र | (i) उच्च न्यायालय से मिन्न | 100/- (एक सौ) रूपये 20/- (बीस) रूपये |
|----|--|---|---|
| | | अन्य सभी न्यायालय (ii)उच्च न्यायालय में | 30/- (तीस) रूपये |
| 8 | वकालतनामा | (i) उच्च न्यायालय से भिन्न अन्य सभी न्यायालय (ii) उच्च न्यायालय में | 30/- (तीस) रूपये 50/- (पचास) रूपये |
| 9 | किसी निर्णय, डिक्री, आदेश कार्यवाही, या कार्यवाही के साथ संलग्न दस्तावेज की प्रति आदि | | 10/- (दस) रूपये प्रति पृष्ठ |
| 10 | केवियट | | 100/- (एक सों) रूपये |
| 11 | निर्णय पर पुनर्विलोकन हेतु आवेदन | | 500/- (पांच सौ) रूपये |
| 12 | किया जाए | अन्य किसी सिविल | 50/- (पचास) रूपये |
| 13 | पत्र या अपील का ज्ञापन | (i) किसी सिविल न्यायालय का संक्षिप्त निर्णय या आदेश जो लेटर्स पेटेंट या किसी भी राजस्व न्यायालय द्वारा स्थापित न हो, को परिवर्तित | 500/- (पांच सौ) रूपये |

| | | या अपास्त करने के लिए | |
|----|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | ना अनास्ता कारण का लिए | 5004 ori# |
| | | (11) - X | 500/- (पांच सौ) रूपये |
| | : | (ii)राजस्व संपदाओं के | |
| | | स्वत्वधारियों के नामों के | |
| | | रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को | |
| | | परिवर्तित करने या रद्द | 1000/- (एक हजार) |
| | | करने के लिए | रूपये |
| | | (III)जहां कोई परिमानिक | |
| | | अनुतोष प्रार्थित नही हो, | |
| | | वहां घोषणात्मक डिक्री प्राप्त | |
| | | करने के लिए | 1000/- (एक हजार) |
| | | | रूपये |
| | | (lv)किसी पंचाट को अपास्त | |
| | | करने के लिए | |
| | | | 1000/ /1 |
| | | (v)किसी दत्तक ग्रहण को | 1000/- (एक हजार) |
| | | | रूपये |
| | | अपास्त करने के लिए | |
| | | | |
| | | (vi) जहां विवादाग्रस्त | |
| | | विषयवस्तु का धन-मूल्य | रूपये |
| | , | प्राक्कलित करना सम्भव नहीं | |
| | | हो और इस अधिनियम द्वारा | |
| | | अन्यथा उपबंधित नही हो, | |
| | | वहां प्रत्येक अन्य वाद के | |
| | | लिए | |
| | | | |
| 14 | सिविल प्रक्रिया संहिता- | | 200/- (दो सौ) रूपये |
| | 1908 के अधीन | , | |
| | न्यायालय की राय के | | |
| | लिए प्रश्न का उल्लेख | | |
| | करते हुए लिखित करार | | |
| | 3 | | |
| 15 | (i)भारतीय विवाह विच्छेद | | 500/- (पांच सौ) रूपये |
| | अधिनियम, 1869 की | I . | |
| | धारा 44 के अधीन | | |
| | अर्जियों को छोड़कर इसी | | |
| | अधिनियम के अधीन | | |
| | 1 | 1 | |
| | प्रत्येक अर्जी तथा इसी | Į. | |
| | अधिनियम की धारा 55 | | |
| | के अधीन अपील का | | |

| प्रत्येक ज्ञापन | 500/- (पांच सौ) रूपये |
|--|-----------------------|
| (II) पारसी विवाह और | (114 (11) (114) |
| विवाह विच्छेद अधिनियम | |
| 1865 के अधीन वाद पत्र या अपील का ज्ञापन | |
| मा असाल का श्रापन | |

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

निन कुमार, प्रधान सचिव-सह विधि परामशी विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 23 नवम्बर, 2023

संख्या- एस0 जी0- 11/2021- 82--लेज0 झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक- 21/11/2023 को अनुमत कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2022 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

The Court Fees (Jharkhand Amendment) Act, 2022 (Jharkhand Act, 14, 2023)

An Act to Amend the Court Fees Act, 1870 in its application to the State of Jharkhand.

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand the Seventy third Year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title, extent and commencement:
 - i) This Act, may be called "The Court Fees (Jharkhand Amendment), Act, 2022
 - ii) It extends to the whole of the State of Jharkhand.
 - iii) It shall come into force from the date as notified in the State Gazette

PART-A

2. Substitution of Schedule I and II appended to the Court Fees Act, 1870- The schedule I and II appended to the Court Fees Act 1870 shall be substituted by the following schedule:-

Schedule-I Advalorem Fees

Table of rate of Advalorem Fees Leviable on Institution of suits

| No. | Sub | ject | Description | Rates |
|-----|--|---|---|--|
| 1. | Plaint, written st pleading a set-or claim or memora | | When the amount or value of the subject matter in dispute- | |
| | or of cross object otherwise provide presented to an | ded for in this Act | i) up to Rs. 30,000/- Rupees thirty thousand) | 15% of the amount or value |
| | Revenue Court of mentioned in Se | except those ection-3. | (Rupees thirty thousand) but does not exceed Rs. 50,000/- | Rs. 4,500/- (Rupees four thousand five hundred) + 10% of amount or value exceeding Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand). |
| | | | (Rupees fify thousand) but | Rs. 6,500/- (Rupees Six thousand five hundred) + 3% of amount or value exceeding Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand). |
| | | | (iv) exceeds Rs. 20,00,000/- (Rupees twenty lac) but doesn't exceed Rs. 1 (one) crore. | Rs. 65,500 (Rupees sixty five thousand five hundred) + 0.5% of the amount or value exceeding Rs. 20,00,000/- (Rupees twenty lac). |
| | | | (v) exceeds Rs. 1 (one) crore | Rs.1,05,000/- (Rupees one lac five thousand) + 0.3% of the amount or value exceeding Rs. 1 (one) crore. (maximum of Rs.3,00,000/- (three lac only)) |
| 2 | under Section | for possession 6 of Specific Relie | f | According to rates as prescribed in item no.1. |
| | Act, 1963. Probate of a vadministration will annexed. | will or letters of n with or without | | 10% of the amount or value [minimum Rs. 500/- (Rupees five hundred)] |
| | | der the Succession | | As prescribed in item no. 3 on amount or value indicated on certificate. |

Schedule-II

| | | Fixed Fees | | |
|------|--|--|--------------|---|
| No. | Subject | Description | T: | |
| 1 | (i) Application or petition | When presented to an administrative or revenue officer of State Government or | Rs. 20 | Fee /- (Rupees twenty) |
| | | Central Government or local body or in civil or criminal or small cause court | | |
| | | other than High Court and which is not | | 1 |
| | | otherwise provided- | | |
| | (ii) When presented to the High | (i) Under Article 226, 227 or under | | |
| | Court- | Article 226 and 227 of the Constitution- | | |
| | | (a) To file a general application. | Rs. 500 |)/- (Rupees five hundred). |
| | (iii) Application for C. U.S. | (II) On other applications | | /- (Rupees two hundred fifty) |
| | (iii) Application for Civil Revision under Section 115 of Civil | | Rs. 250 | /- (Rupees two hundred fifty) |
| | Procedure Code or Criminal | | | , and they |
| | Revision under Section 397 read | | | |
| | with Section 399/401 of Criminal | · · | | |
| | Procedure Code. | | | |
| 2 | Application to call for records | | Rs. 50/ | (Rupees fifty). |
| | from any other Court. | | | (riapaes mey). |
| | Application for leave to sue as a pauper or for leave to appeal as | | Rs. 20/- | (Rupees twenty). |
| ľ | pauper. | | | |
| 4 F | Plaint or memorandum of appeal | | | |
| t | o establish or prove a right of | 1 | Rs. 100, | (Rupees one hundred). |
| C | occupancy. | | | |
| 5 8 | Bail Bond or other Instruments of | | Rs. 20/- | (Rupees twenty). |
| 0 | obligation given in pursuance of | | | (Hapoes Ewelley). |
| | ny order made by a Court or Aagistrate under any section of | | | |
| ti | he Code of Criminal Procedure, | | | |
| 1 | 973 or the Code of Civil | | | |
| P | rocedure, 1908 and not | | | |
| 0 | therwise provided by this Act. | · | | |
| | | | | |
| 6 U | ndertaking under Section 49 of | | c 100/ | /Dungangangangangangangangangangangangangan |
| th | ne Indian Divorce Act, 1869 (4 of | Like 1 | 3. TOO/. | (Rupees one hundred). |
| | 869). | | _1. | |
| 7 A | ffidavit | (i) In all other courts except the High | s. 20/- (| Rupees twenty Rupees). |
| _ | | Court. | | |
| B Va | | (ii) In the High Court. R (i) In all other courts except the High R | s. 30/- (| Rupees thirty). |
| | " F | Court. | s. 30/- (| Rupees thirty) |
| | | (ii) In the High Court. | 50/-/ | Rupees Fifty) |
| | kinds of copies of any | | | Rupees ten) per page. |
| ju | dgement, decree, order, | | 20/- (| mpees tell) her hage. |
| pr | oceeding, the documents filed | State of the State | | |
| | a proceeding etc. | | | |
| | oplication for review of | | | (Rupees one hundred) |
| | dgement. | R | . 500/- | (Rupees five hundred) only. |

(200)

| | La | | |
|-----|--|--|-----------------------------------|
| | Memorandum of Appeal when the appeal is not from a decree or | (i) To any Civil Court other than a High Court, or to any Revenue Court, or | Rs. 50/- (Rupees fifty). |
| | | Executive Officer, other than the High | -' - |
| | | Court or Chief Controlling Revenue or | |
| | | Executive Authority. | |
| | | | - |
| | | (ii) To High Court or Chief Controlling | Rs. 100/- (Rupees one hundred). |
| 13 | | Executive or Revenue Authority. | |
| 7.2 | Plaint or Memorandum of Appeal | | Rs. 500/- (Rupees five hundred). |
| | in each of the following suits:- | decision or order of any of the Civil | |
| | | Courts (not established by Letters Patent | |
| | | or not a Revenue Court) | |
| | | (ii) To alter or cancel any entry in a | Rs. 500/- (Rupees five hundred). |
| | . | register of the names of proprietors of | |
| | 1 | revenue paying estates. | |
| | | (iii) To obtain a declaratory decree | Rs. 1000/- (Rupees one thousand). |
| | | where no consequential relief is prayed. | |
| | | (iv) To set aside an award. | Rs. 1000/- (Rupees one thousand). |
| | | (v) To set aside an adoption. | Rs. 1000/- (Rupees one thousand). |
| | | (vi) For every other suit where it is not | Rs. 1000/- (Rupees one thousand). |
| | i i | possible to estimate at a money value | |
| | | the subject matter in dispute and which | |
| | | is not otherwise provided for by this Act. | : |
| 14 | Agreement in writing stating a | | Rs. 200/- (Rupees two hundred). |
| | question for the opinion of the | | |
| | Court under the Code of Civil | | |
| | Procedure, 1908. | | |
| 15 | (i) Every petition under the Indian | | Rs. 500/- (Rupees five hundred). |
| | Divorce Act, 1869 except under | | 1 |
| | Section 44 of the same Act and | | |
| | every Memorandum of Appeal | | |
| | under Section 55 of the same Act | | |
| | (ii) Plaint or Memorandum of | 2 | Rs. 500/- (Rupees five hundred). |
| | Appeal under the Parsi Marriage | | |
| | and Divorce Act, 1865. | | |
| | and Divorce Act, 1865. | | |

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

निन कुमार, प्रधान सचिव-सह-विधि परामशीं विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित. झारखण्ड गजट (असाधारण) 694 - 50